रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24, 1976/श्रावण 2, 1898
No. 251] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 1976/SRAVANA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 24th July 1976

G.S.R. 475(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (ii) and (j) of sub-section (2) thereof and for the matter of prohibition of, or the imposition of restrictions on, the storage of foodstuffs shall be exercisable also by the Government of Sikkim subject to the following conditions, namely:—

(1) that such powers shall be exercised subject to such directions, if any, as may be issued by the Central Government in this behalf;

(2) that before making an order relating to—

(a) any matter specified in the said clauses (a), (c), (f) or (g), or

(b) distribution or disposal of foodstuffs to places outside the State or in regard to regulation of transport of any foodstuff, under the said clause (d), or

(c) prohibition of, or the imposition of restrictions on, the storage of foodstuffs,

the prior concurrence of the Central Government shall be obtained, and

(3) that in making an order relating to any of the matters specified in the said clause (j), an officer of Government shall only be authorised.

[No. 3(GENL)(7)/75-D&R(I)-35]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 475(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए और खाद्य पदार्थ के भण्डारकरण के प्रतिषेध या उस पर निर्बन्धनों के अधिरोपण का उपबन्ध करने के लिए आदेश देने के लिए उसकी उपधारा (3) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सिक्किम की सरकार द्वारा भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात्:—

(1) ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त जारी करे;

(2) (क) उक्त खण्ड (क), (ग), (च) या (छ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले में, या

(ख) उक्त खण्ड (घ) के अधीन राज्य से बाहर के स्थानों को खाद्य सामग्री के वितरण या व्ययन या किसी खाद्य सामग्री के परिवहन के विनियमन :

(ग) खाद्य पदार्थ के भंडारकरण का प्रतिरोध करने या उस पर निर्बन्धन अधिरोपित करने के;

के सम्बन्ध में कोई आदेश देने के पूर्व केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति ले ली जाएगी।

(3) उक्त खण्ड (ञ) में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी की बाबत आदेश करने के लिए केवल सरकार का अधिकारी प्राधिकृत किया जाएगा।

[सं० 3 (जीईएनएल) (7)/75-डीएण्ड आर (1)-35]

एस० सी० गुप्ता, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF I[illegible]IA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF P[illegible] 1976